कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–22/2016– 643 दिनांक – 13.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 89.440 लाख (नवासी लाख चौवालीस हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–22/2016–55/स्वी0 व0प0 दिनांक–17.01.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–22/2016–23/आ0 व0प0 दिनांक 06.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रू0 89.440 लाख (नवासी लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	80.985
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	8.455
कुल :–		**89.440**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से 1(ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2(क) से 2(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा ''स्थल विशेष प्राक्कलन'' श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक

खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–22/2016– 643** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/जमशेदपुर रीजन/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ प्रादेशिक अंचल, दुमका/ प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–22/2016– 643** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–22/2016– 643** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) कं अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			16361.98	1725.00	18086.98
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	30.00	4.909	0.518	5.427
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	40.00	6.545	0.690	7.235
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	30.00	4.909	0.518	5.427
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	40.00	6.545	0.690	7.235
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	40.00	6.545	0.690	7.235
योग :–		**180.00**	**29.453**	**3.106**	**32.559**

अनु0–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) कं अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			25440.73	2515.00	27955.73
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	55.18	14.038	1.387	15.425
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	30.00	7.632	0.755	8.387
3	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	30.00	7.632	0.755	8.387
योग :–		**115.18**	**29.302**	**2.897**	**32.199**

अनु0–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) कं अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			37050.68	4087.50	41138.18
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	30.00	11.115	1.226	12.341
2	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	30.00	11.115	1.226	12.341
योग :–		**60.00**	**22.230**	**2.452**	**24.682**
सकल योग :–		**355.18**	**80.985**	**8.455**	**89.440**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर– **229.90** प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)**						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	2988.70	0.00	2988.70	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	5057.80		5057.80	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	5747.50	0.00	5747.50	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	459.80	0.00	459.80	प्रति हे0 औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा			0.00			
5.1	30 हे0 तक	हे0	9.17	2108.18		2108.18	
5.2	30 हे0 से 60 हे0 तक						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**71.17**	**16361.98**	**1725.00**	**18086.98**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी दर– 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	4942.85	0.00	4942.85	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	9540.85	0.00	9540.85	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	459.80	0.00	459.80	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	हे0	9.16	2105.88	0.00	2105.88	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**110.66**	**25440.73**	**2515.00**	**27955.73**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

मजदूरी दर– 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)**						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	32.5	7471.75	0.00	7471.75	
2	वृक्षारोपण	हे0	55	12644.50		12644.50	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	62.5	14368.75	0.00	14368.75	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	459.80	0.00	459.80	प्रति हे0 औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा			0.00			
5.1	30 हे0 तक	हे0	9.16	2105.88		2105.88	
5.2	30 हे0 से 60 हे0 तक						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**161.16**	**37050.68**	**4087.50**	**41138.18**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31151	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	490,900.00 रुपये चार लाख नब्बे हजार नौ सौ
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31152	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	654,500.00 रुपये छः लाख चौपन हजार पॉच सौ
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31153	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	490,900.00 रुपये चार लाख नब्बे हजार नौ सौ

योग: 1,636,300.00

क्रमिक योग: रुपये सोलह लाख छत्तीस हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH SADHAWAN,IFS)

ADDI.PCCF/DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/yb-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31154	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	654,500.00 रुपये छः लाख चौपन हजार पाँच सौ
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31155	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	654,500.00 रुपये छः लाख चौपन हजार पाँच सौ
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31156	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	1,403,800.00 रुपये चौदह लाख तीन हजार आठ सौ

योग: 2,712,800.00

क्रमिक योग: 4,349,100.00

रुपये तीरयालीस लाख उनचास हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEVAN JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/yb-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31157	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	763,200.00 रुपये सात लाख तीरसठ हजार दो सौ
8	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31158	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	763,200.00 रुपये सात लाख तीरसठ हजार दो सौ
9	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31159	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

योग: 2,637,900.00

क्रमिक योग: 6,987,000.00

रुपये उनहत्तर लाख सित्यासी हजार

(SHRI SATNAM SINGH [illegible], IFS)

ADDI.PCCF(DEV.)JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/yb-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Centeral Scheme :	31160	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
11	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31161	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
12	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31162	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	69,000.00 रुपये उनहत्तर हजार

योग: 1,232,300.00

क्रमिक योग: रुपये बयासी लाख उन्नीस हजार तीन सौ 8,219,300.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.P BADHAWAN IFS JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-22/2016/643 दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31163	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
14	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31164	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	69,000.00 रुपये उनहत्तर हजार
15	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31165	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	69,000.00 रुपये उनहत्तर हजार

योग: 189,800.00

क्रमिक योग: रुपये चौरासी लाख नौ हजार एक सौ 8,409,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PBS-PIDEWAN,JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31166	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	138,700.00 रुपये एक लाख अडतीस हजार सात सौ
17	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31167	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	75,500.00 रुपये पचहत्तर हजार पॉच सौ
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31168	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	75,500.00 रुपये पचहत्तर हजार पॉच सौ

योग: 289,700.00

क्रमिक योग: 8,698,800.00

रुपये छियासी लाख अटानवे हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDl.PCCF/DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-22/2016/643

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31169	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
20	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Centeral Scheme :	31170	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ

योग: 245,200.00

क्रमिक योग: रुपये नवासी लाख चवालीस हजार 8,944,000.00

(SHRI SATNAM SINGH BAGHWAN IFS)

ADDI.PCCF DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 13/5/2017